निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 10 वर्ष 2020-2021

यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अधिशासी अभियंता, पी. एम. जी. एस. वाई., लो. नि. वि., कालसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी. एम. जी. एस. वाई., लो. नि. वि., कालसी के माह 08/2018 से 07/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री संदीप कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 27/07/2020 से 10/08/2020 तक श्री वी॰ पी॰ सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री शरत श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 20/08/2018 से 04/09/2018 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 03/2016 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2018 से 07/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः पी एम जी एस वाई योजना के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण जिला देहरादून के अंतर्गत विकास खंड कालसी एवं चकराता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2017-18	-	-	157.50	130.99	4814.89	4244.66	-	570.23
2018-19	-	-	198.49	192.30	4845.72	4284.31	-	561.41
2019-20	-	-	38.08	35.33	6782.04	6756.04	-	26.00
2020-21	-	-	4.20	1.30	1696.22	1229.88	-	466.34

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (धनराशि रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2017-18	प्रोग्राम निधि प्रशासनिक निधि	- -	4532.09 13.50	3949.00 13.43	583.09 0.07
2018-19	प्रोग्राम निधि प्रशासनिक निधि	-	4845.72 25.00	4284.31 24.99	561.41 0.007
2019-20	प्रोग्राम निधि प्रशासनिक निधि	-	6782.04 18.05	6756.04 17.97	39.70 0.07
2020-21	प्रोग्राम निधि प्रशासनिक निधि	-	1696.22 4.50	1299.88 4.30	466.34 0.20

(iii) गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत, राज्य सरकार है ।

(iv) इकाई की श्रेणी “A” है।

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1) सचिव, उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास विभाग।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी एम जी एस वाई उत्तराखंड।

तकनीकी संवर्ग मे:

(3) मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष) (4) मुख्य अभियंता, गढ़वाल क्षेत्र,

(5) मुख्य अभियंता, कुमाऊँ हल्द्वानी, (6) अधीक्षण अभियंता, मसूरी

(7) अधिशासी अभियंता, कालसी (8) सहायक अभियंता

(9) कनिष्ठ अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक , (2) खंडीय लेखाकार (3) सहायक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान सहायक ,(7) वरिष्ठ सहायक ,(8) कनिष्क सहायक ।

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, पी. एम. जी. एस. वाई., लो. नि. वि., कालसी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, पी. एम. जी. एस. वाई., लो. नि. वि., कालसी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2020, 6/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। पीपरा-मीनस के किमी- 05 से बायला मोटर मार्ग स्टेज-2 ।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक .. .. से ... तक......शून्य .. निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह ... . तथा .... तक की गई।
5. फार्म 51: माह ... 6/2020 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

भाग प्रथम ...

भाग द्वितीय ....

खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह ..06/2020 के अन्त में (धनराशि रु मे)

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम...

(ख) सामग्री क्रय....शून्य

(ग) नगद परिशोधन....शून्य

(घ) निक्षेप....

(ङ) भण्डार....

भाग-2 ब

प्रस्तर 1:- रु 24,707 धनराशि लम्बी अवधि से अवरुद्ध रखने का प्रकरण।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 634 के अनुसार डिपॉजिट निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात अवशेष धनराशि ग्राहक विभाग को वापस कर देनी चाहिए ओर वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 622 के अनुसार तीन पूर्ण वर्षो तक अदावाकृत ठेकेदारों की जमानत राशि को ठेकेदारों द्वारा मांग नहीं किए जाने पर व्यपगत जमा के रूप मे राज्य सरकार को राजस्व के रूप मे जमा की जानी चाहिए थी। कार्यालय के मासिक लेखा पंजिका की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया कि लम्बी अवधि से निम्नलिखित विवरण के अनुसार पूर्ण निर्माण कार्यो की अवशेष धनराशि खंड स्तर पर अवरुद्ध पड़ी है ।

क्रम संख्या	डिपॉजिट रजिस्टर का भाग	धनराशि रु मे
1	भाग 2	19,695
2	भाग -3	5,012
3	कुल अवरुद्ध राशि	24,707

उपरोक्त रु 24,707 धनराशि खंड स्तर पर अवरुद्ध पड़ी है। जबकि कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्माण कार्य यथाशीघ्र ग्राहक विभाग को हस्तगत करके एवं कार्य से संबन्धित लेखे बंद करके अवशेष धनराशि ग्राहक विभाग को वापस कर देनी चाहिए यदि ठेकेदारो की अदावेकृत राशि के रूप मे धनराशि अवरुद्ध पड़ी हो तो को राजस्व मे जमा करना चाहिए परंतु इस धनराशि को खंड स्तर पर अवरुद्ध रखा गया है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि धनराशि संबन्धित ठेकेदारो को वापस कर दी जाएगी। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि खंड ने राशि से सम्बन्धित जानकारी जैसे राशि किस अवधि से ओर किस ठेकेदार की है वर्तमान मे राशि को वास्तविक रूप मे कहाँ रखा गया है सूचना उपलब्ध नहीं करायी है। अत: रु 24,707 धनराशि अवरुद्ध रखने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर: 2 रु 177.75 लाख जी एस टी की राशि ठेकेदारो द्वारा राजस्व विभाग मे जमा करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये जाने का प्रकरण।

शासन के पत्रांक संख्या 2137/111(2)/17–27(सामान्य)/2007 दिनांक 05 सितम्बर 2017 में दिनांक 1.7.2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त देयकों के भुगतान/निविदा की प्रकिया सम्बन्धी दिशा–निर्देश मे case-1 में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 30.6.2017 तक दाखिल एम0बी0 के सम्बन्ध में कर दायित्व वैट प्रणाली के अनुसार होगा तथा इसके उपरान्त प्रस्तुत एम0बी0 के सम्बन्ध में कर के दायित्व का निर्धारण जी0एस0टी0 के प्राविधानों के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त यदि इन्वाईस प्रस्तुत किया जाता है, तो इस बिल की तिथि को संविदाकार की कर देयता होगी।

उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 2 की उप धारा 119 में " work contract" means a contract for building construction, Fabrication, completion, errection, installation, fittingout, improvement, modification,repair maintence, renovation, alteration or commissing of any immovable property wherein transfer of property in goods(whether as goods or in some other form) is involved in the execution of such contract का कार्य करने वाले संविदाकारों को भी डीलर (व्यौहारी) माना गया है, इसलिये प्रत्येक डीलर जिसका कारोबार उत्तराखण्ड में रू0 10.00 लाख प्रतिवर्ष है, उसे माल एवं सेंवाकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार पंजीकृत/रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है तथा प्रत्येक पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी को अधिनियिम की धारा 31 के अनुसार बिक्री किये गये माल एवं सेवा की टैक्स इन्वाइस निर्धारित प्रारूप में जारी करना अनिवार्य है तथा जारी (Tax Invoice) बिक्री के बिलों पर अलग से बिल की धनराशि के साथ साथ सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 कर की मॉग अलग से प्रदर्शित करनी होगी, तभी उनकों अलग से देय कर सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 धनराशि को भुगतान पर किया जा सकता था, अन्यथा अलग से कर का भुगतान नही किया जा सकता। अधिनियम की धारा 122(1) की उप धारा (i) के अनुसार यदि कोई पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी किसी बीजक के जारी किए बिना, किसी माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करता है, या ऐसा किसी पूर्ति के लिये झूठा या गलत बीजक जारी करता है तो वह अपराध करता है या धारा 122 (3) (ड) इस अधिनियम या तद्वीन नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है, या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक के लिऐ कैफियत दने में असमर्थ रहता है, या धारा 132 (1) की उप धारा (क) इस अधिनियम या तद्वीन नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी किए बिना ही किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति कर अपवंचन के आशाय से करता है, तो ऐसी शास्ति के लिये दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपये तक हो सकेगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, **पी. एम. जी. एस. वाई., लो. नि. वि. खंड, कालसी, देहरादून** द्वारा लेखापरीक्षा को माह 11/2018 से 6/2020 तक लेखापरीक्षा अवधि मे कुल रु 177.75 लाख जी एस टी राशि का भुगतान ठेकेदारो को किया था परंतु सभी प्रकार के भुगतान संविदाकार से टैक्स इनवाइस प्राप्त किये बिना ही कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान किया गया था, जबकि संविदी विभाग के द्वारा संविदकार को कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान जी0एस0टी0 के प्रावधानों के अनुसार जारी टैक्स इन्वाइस पर ही किया जाना चाहिऐ था, जैसाकि शासनादेश संख्या 2137 दिनांक 5 सितम्बर 2017 एवं जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के प्रावद्यानों में उल्लिखित था, अर्थात बिना टैक्स इन्वाइस प्राप्त किये संविदा कार्य की देय संविदा धनराशि और` 12 प्रतिशत कर की धनराशि का भुगतान संविदाकार को प्रावद्यानों के विरूद्व किया गया था । इसलिये खण्ड कार्यालय के द्वारा कार्य संविदा की बिना टैक्स इन्वाइस प्राप्त किये भुगतान की गयी धनराशि एवं 12 प्रतिशत कर भुगतान की धनराशि संविदाकार से माल एवं सेवाकर अधिनियमों 2017 एवं नियम के अनुसार वसूली योग्य है, जोकि वसूली सम्प्रेक्षा में लम्बित रहेगी। क्योकि उपरोक्त से स्पष्ट है,कि रजिस्टर्ड ब्यौहारी संविदाकर की मंशा ही कर अपवंचन करने की थी, इसलिये उसके द्वारा अधिनियमों का पालन सुनिश्चित किये बिना ही संविदी विभाग से भुगतान प्राप्त किया गया था। इसलिये उस पर धारा 122 अपराध एवं शास्ति के प्रावद्यान भी लागू होगे। ठेकेदार द्वारा खंडीय कार्यालय को जी एस टी, की राशि राजस्व विभाग को जमा की गयी या नहीं कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः जी एस टी की राशि राजस्व के रूप मे जमा के बारे मे पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर मे स्वीकार करते हुये बताया कि ठेकेदारो से साक्ष्य की मांग की जाएगी। अत: रु 177.75 लाख जी एस टी की राशि ठेकेदारो द्वारा राजस्व विभाग मे जमा करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर-3: स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर तैनाती के कारण ₹29.75 लाख का व्ययाधिक्य।

वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार किसी भी कार्यालय मे स्वीकृत पदों से अधिक पदों की तैनाती नहीं की जा सकती है। कार्यालय की लेखापरीक्षा मे पाया गया कि कतिपय पदों पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिक कार्मिकों की तैनाती की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं0	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	आधिक्य	अधिकारी का नाम	वेतन	अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	सहायक अभियंता-04	06	02	1.श्री एन एस रावत 2.श्री वी पी उनियाल	₹4.98 लाख ₹4.98 लाख	4/2018- 1/2020 4/2018- 1/2020
2.	कनिष्ठ अभियंता-12	16	04	1. श्री आशीष धीमान 2. श्री नवीन चौहान 3. श्री गजेन्द्र चौहान 4. श्री रवीन्द्र सिंह तोमर	₹5.78 लाख ₹4.67 लाख ₹4.67 लाख ₹4.67 लाख	3/2019- 7/2020 6/2019 -7/2020 6/2019 -7/2020 6/2019 -7/2020
				कुल व्यय-	₹ 29.75 लाख	

उपरोक्त विवरण के अनुसार खंड में स्वीकृत पदों से 02 सहायक अभियंता एवं 04 कनिष्ठ अभियंता अधिक कार्यरत हैं। इन अधिकारियों की तैनाती के सापेक्ष उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 7 में अंकित अवधि के दौरान कुल ₹29.75 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। खंड द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार उक्त 02 अतिरिक्त सहायक अभियंताओं के वेतन का भुगतान मद सं0-16 एवं 04 कनिष्ठ अभियंताओं के वेतन का भुगतान यूआरआरडीए द्वारा नामित की गयी संस्था (पी0एम0सी0) के माध्यम से किया जाता है। उपरोक्त के संबंध में इंगित करते हुए, स्वीकृत पदों से अधिक तैनाती के संबंध में प्रश्न किए जाने पर कि किस अतिरिक्त कार्य हेतु किस अधिकारी के आदेश से उक्त तैनाती की गयी है एवं स्वीकृत पदों से अधिक अधिकारियों की नियुक्ति हेतु शासन से अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्राप्त क्यों नहीं की गयी थी, खंड द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि उक्त तैनाती मुख्य अभियंता, उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा की गयी है। खंड के उत्तर से स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गयी उपरोक्त सभी आपत्तियों को खंड द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर तैनाती के कारण ₹29.75 लाख के व्ययाधिक्य का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः 4 निर्धारित अवधि मे निर्माण कार्य पूर्ण न किया जाना एवं ठेकेदार पर रू0 136.68 लाख का अर्थदण्ड न लगाया जाना।

भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले असंयोजित बसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विकास खण्ड चकराता में असंयोजित ग्राम बागनी, कांडोई एवं बाइला (कुल जनसंख्या 1713) को संयोजित करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक 781/पी–1–32 (फेज 14)/यू0आर0आर0डी0ए0/17 दिनांक 09.05.2017 के द्वारा 23.420 किमी0 लम्बाई हेतु रू0 1306.87 लाख निर्माण कार्य हेतु एवं रू0 139.75 लाख अनुरक्षण हेतु कुल रू0 1446.62 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया के उपरान्त श्री अमित जोशी को न्यूनतम निविदादाता के रूप में चयनित किया गया था तथा न्यूनतम निविदादाता की दरों के आधार पर निर्माण कार्य की लागत हेतु रू0 1366.80 लाख एवं अनुरक्षण कार्य की लागत हेतु रू0 147.71 लाख (जी0एस0टी0 सहित) कुल 1514.51 लाख की धनराशि की निविदा स्वीकृत की गयी थी। इस कार्य हेतु उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1000/XI/15/56(67)/ 2017 T.C. दिनांक 01 मई 2018 के द्वारा निविदा के अन्तर की धनराशि रू0 2.71 लाख एवं जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 65.18 लाख की अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उपरोक्त निर्माण कार्य को आरम्भ करने की निर्धारित तिथि 15.05.2018 तथा निर्माण कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 14.05.2019 थी।

गठित अनुबन्ध के अनुसार निर्माण कार्य समय से पूर्ण न होने की दशा में आरम्भिक अनुबन्ध मूल्य का 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से (अधिकतम आरम्भिक अनुबन्ध मूल्य का 10 प्रतिशत तक) Liquidity damage (अर्थदण्ड) की कटौती की जानी थी।

लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त निर्माण कार्य सम्प्रेक्षा तिथि (अगस्त 2020) तक पूर्ण नही हो सका था। जांच में यह भी पाया गया कि उपरोक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समय वृद्धि स्वीकृत नही की गयी थी। इस प्रकार इकाई द्वारा निर्धारित समय पर निर्माण कार्य पूर्ण न होने की दशा में आरम्भिक अनुबन्ध मूल्य का 10 प्रतिशत अर्थात रू0 136.68 लाख की अर्थदण्ड की कटौती की जानी चाहिये थी जोकि इकाई द्वारा नही की गयी थी।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि दैवीय आपदा एवं प्रतिकर के वितरण में विलम्ब के कारण निर्माण कार्य समय से पूर्ण नही हो सका था। समयवृद्धि स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। समयवृद्धि प्रकरण उच्चाधिकारियों को समय पर प्रस्तुत कर दिया गया था जो आपत्तियों में एवं लाकडाउन के कारण समयवृद्धि का प्रकरण लम्बित है।

इकाई का उत्तर मान्य नही था क्योंकि उपरोक्त निर्माण कार्य को पूर्ण होने की निर्धारित तिथि को पूरा हुये एक वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है और इस अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नही हो सका था।

अतः निर्धारित अवधि मे निर्माण कार्य पूर्ण न किये जाने एवं ठेकेदार पर रू0 136.68 लाख का अर्थदण्ड न लगाये जाने का प्रकारण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-2 'ब'</u>

प्रस्तर - 5 : रु 1,31,471/-लाख के राजस्व की हानि।

(खंड द्‌वारा ठेकेदार के अंतिम देयक से निर्धारित रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण)

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-V खंड-I के प्रस्तर 21 एवं उत्तराखंड बजट मैनुअल के अध्याय 11 के प्रस्तर 81 एवं 82(iii) यह प्राविधानित करता है कि विभागीय प्राधिकारी द्‌वारा यह देखा जाना चाहिए कि सरकार को देय सभी राजस्व प्राप्तियों को सही एवं उचित तरीके से निर्धारित कर, बिना किसी विलंब के शासकीय खाते में डाली जाये।

उत्तराखण्ड शासन, औद्‌योगिक विकास अनुभाग-2 संख्या.842/VII-I/2016//24-ख/2007 दिनांक 19 मई 2016 के अधिसूचना के अनुसार उपखनिजों (बालू, मोरम, बाजरी तथा बोल्डर या इसमे से कोई भी मिली जुली अवस्था मे हो) पर रायल्टी प्रतिस्थापित /संशोधित दरो 154 प्रति घनमीटर (हरिद्‌वार एवं अन्य स्थान) से कटौती की जाएगी ।

अधिशासी अभियंता, पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खंड, कालसी के देयकों /अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2020) में पाया गया कि खण्ड द्‌वारा निम्न विवरणानुसार निर्माण एजेंसी/ ठेकेदार मोहम्मद हसीम, देहरादून से निम्न विवरण के अनुसार अनुबंध संख्या 10/SE-PMGSY/2015-16 दिनांक 08.02.2016 के सापेक्ष प्रस्तुत अंतिम देयक के साथ संलग्न रायल्टी स्टेटमेंट के अनुसार रु 1,31,471/- रायल्टी की कटौती की जानी चाहिए थी लेकिन खंड द्‌वारा ठेकेदार के अंतिम देयक से उक्त राशि की कटौती कर राजस्व मे जमा नही की गयी थी और न ही ठेकेदार द्‌वारा उक्त अवशेष धनराशि के सापेक्ष कोई form-J/ रवन्ना भी खंड मे प्रस्तुत किया गया था :-

क्रं स	*ठेकेदार का नाम*	*बिल/ वाउचर/IPC संख्या*	*कटौती हेतु अवशेष रायल्टी (रु. मे)*
1	*मोहम्मद हसीम, देहरादून*	*अंतिम देयक*	*1,31,471*

लेखापरीक्षा द्‌वारा इंगित किए जाने पर खंड द्‌वारा उत्तर मे लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार करते कुए अवगत करवाया गया कि ठेकेदार से उक्त राशि कि कटौती की कार्यवाही कर ली जायेगी। खंड के उत्तर से ही स्पष्ट है कि उक्त ठेकेदार के अंतिम देयक से रु 1,31,471/- की रॉयल्टी की कटौती नही की गयी।

अत: प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः 6 - वन भूमि हस्तांतरण किए बिना सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना **दिशा निर्देश 2015 के** प्रस्तर 6.12 के अनुसार राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होगी कि प्रस्तावित सड़क कार्य आरम्भ करने के लिए जमीन उपलब्ध है। प्रत्येक सड़क कार्य के प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाण- पत्र संलग्न होना चाहिए कि जमीन उपलब्ध है।

प्रस्तर-6.13 एवं 8.4 यह भी प्रावधान करता है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी०पी०आर०) गठित करते समय संबन्धित पी०आई०यू० के सहायक अभियंता द्वारा ग्राम प्रधान,स्थानीय पटवारी एवं वन विभाग के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुये अनौपचारिक सर्वेक्षण भ्रमण एवं परामर्श करेगे, ताकि अधिक से अधिक संरेखण एवं भूमि उपलब्धता की जा सके तथा बाद मे पैदा होने वाले विवाद से बचा जा सके।

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-VI का प्रस्तर-378 भी प्रावधानित करता है कि ऐसी भूमि पर कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से हस्तान्तरित न किया गया हो।

(A) अधिशासी अभियंता, पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खंड कालसी के अभिलेखो की जांच (08/2020) मे पाया गया कि जनपद देहरादून के विकासखंड चकराता मे कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग स्टेज-I के कार्य हेतु वन भूमि के अधिग्रहण से पूर्व ही प्रस्ताव तैयार कर ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया तथा उस पर माह 04/2018 मे रु 526.01 लाख की स्वीकृति प्राप्त कर, वन भूमि का निराकरण किए बिना ही माह 07/2018 को निविदा आमंत्रण कर न्यूनतम निविदाता मै0 बी०बी०एच० कंस्ट्रक्सन, देहरादून के साथ रु 504.88 लाख का अनुबंध सं 127/CE-URRDA/2018-19 दिनांक 26.12.2018 को गठित किया गया। जिसके अनुसार कार्य दिनांक 01.01.2019 से प्रारम्भ कर **दिनांक: 31.03.2020 तक पूर्ण किया जाना था।** लेकिन अनुबंध के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि समाप्त होने के बाद भी अभी तक भूमि का निराकरण नही हो सका था। न ही अभी तक संबन्धित ग्राम वासियो को सड़क का लाभ प्राप्त हो सका था। कार्य में माह 01/2019 से वित्तीय रु 1.75 लाख एवं भौतिक प्रगति शून्य दर्शाई जा रही थी।

कार्य लेखापरीक्षा अवधि तक अपूर्ण था एवं कार्य में वर्ष 2019 से कोई भौतिक प्रगति नहीं हो पायी थी।

इस संबंध में इंगित करने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण आनलाइन किया जा चुका है, जो भारत सरकार,वन विभाग स्तर पर लंबित है। वन भूमि हस्तांतरण के उपरांत कार्य पूर्ण करवाया जा सकेगा।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्य पिछले दो वर्षों से भी अधिक अवधि व्यतीत हो जाने पर भी अवरूद्ध था। भारत सरकार से उक्त कार्य हेतु पूर्ण राशि पूर्व मे ही प्राप्त की जा चुकी थी, जो अभी तक अवरुद्ध पड़ी थी। लेकिन कार्य की प्रगति शून्य थी, अभी तक वन भूमि हस्तांतरण नही किया जा सका था तथा संबन्धित ग्रामवासी भी सड़क के लाभ से वंचित थे।

(B) खारसी से खाटुबा मोटर मार्ग स्टेज-1 कार्य हेतु रु 619.36 लाख धनराशि कार्य हेतु एवं रु 28.25 लाख अनुरक्षण हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए अनुबंध संख्या: 108/2017-18 निर्माण कार्य हेतु रु 592.27 लाख एवं अनुरक्षण हेतु रु 11.07 लाख का गठन किया गया। कार्य पूर्ण होने की तिथि 20.05.2019 थी। लेखापरीक्षा तिथि तक रु 359.43 लाख व्यय किया जा चुका था। कार्य बिना वन भूमि हस्तांतरण के प्रारम्भ किया गया था तथा भारत सरकार से स्वीकृति लंबित है जिस कारण कार्य समाप्ति के एक वर्ष पश्चात भी अपूर्ण है। खंड द्वारा अवगत कराया गया कि विधिवत स्वीकृति भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर लंबित है। अत: रु 359.43 लाख के व्यय के पश्चात भी ग्रामीण लोगो को सड़क से मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पड रहा है।
अत: प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
2013-14	02	01	-
2015-16	-	03	-
100/2018-19	01	1,2,3,4,	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अनुपालन आख्या उच्च अधिकारियों को प्रेषित की गयी थी।	

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता पी एम जी एस वाई, कालसी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(1) श्री	बी. सी. पंत	अधिशासी अभियंता

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, पी एम जी एस वाई, कालसी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (आर्थिक क्षेत्र-2) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, देहरादून, कौलगढ़, पिन-248195 को प्रेषित की जाए ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

AMG-II (Non-PSU)